

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)-

राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मुख्य कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली -110003

फोन: 011-39187234, 011-39187044

ईमेल: rajiv.ranjan@nhb.org.in , anuj.rastogi@nhb.org.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

विषय - सूची

| क्रम सं. | विवरण | पृष्ठ सं. |
|----------|--------------------------|-----------|
| 1. | महत्वपूर्ण बोली विवरण | 4 |
| 2. | राष्ट्रीय आवास बैंक | 5 |
| 3. | प्रयोजन/उद्देश्य | 5 |
| 4. | कार्य-क्षेत्र /प्रदेय | 5 |
| 5. | पैनल तैयार करने की वैधता | 12 |
| 6. | बोलीदाता को निर्देश | 12 |
| 7. | योग्यता पूर्व मानदंड | 26 |
| 8. | सामान्य नियम और शर्तें | 26 |
| 9. | अनुलग्नक I से X | 32 |

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

| क. महत्वपूर्ण बोली विवरण | | |
|--------------------------|--|--|
| 1. | बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरु होने की तारीख | 02.09.2019 |
| 2. | बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक (तारीख एवं समय) | 26.09.2019 : 1500 बजे |
| 3. | बोली दस्तावेज बिक्री की अंतिम तारीख एवं समय | 10.10.2019 : 1800 बजे |
| 4. | बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय | 10.10.2019 : 1800 बजे |
| 5. | तकनीकी बोली खोलने की तारीख एवं समय | 15.10.2019 : 1500 बजे |
| 6. | बयाना - जमा राशि | 50,000/- रुपये |
| 7. | बोली खोलने का स्थान | राष्ट्रीय आवास बैंक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मुख्य कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 |

टिप्पणी : -

- बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उक्त अनुसार इसमें भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल अथवा रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना, रिपोर्ट की जायेगी और इस आरएफपी के प्रकाशन की यथा तारीख को मानी जायेगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक संस्थान है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

क. रा.आ.बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक क्रिफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षक प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में हैं।

3. उद्देश्य/प्रयोजन

रा.आ.बैंक दो वर्ष अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण, विन्यास और अनुरक्षण हेतु 24 महीने की अवधि के लिये प्रतिष्ठित विक्रेताओं का पैनल तैयार करने का इरादा रखता है जिसमें लेकिन सर्वर, स्टोरेज, डेस्कटॉप, लैपटॉप एवं कम्प्यूटर पेरिफेरल्स जैसे प्रिंटर जिसमें जब भी आवश्यक हो टोनर/कार्ट्रिज, स्कैनर, बायोमैट्रिक डिवाइस, यूपीएस, एलटीओ टेप्स, हार्ड डिस्क, कैबल आदि एवं सामान्य सॉफ्टवेयर मर्चे, सीमित नहीं है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनेल तैयार करना

4. कार्य क्षेत्र/प्रदेय

विक्रेताओं के पैनेल को इस आरएफपी में यथा निर्दिष्ट योग्यता-पूर्व मानदंड (खंड सं. 7) और तकनीकी मूल्यांकन मानदंड (खंड सं. 6.9) के आधार पर तैयार किया जाएगा। रा.आ.बैंक, रा.आ.बैंक की आवश्यकतानुसार आईटी उपकरणों की आपूर्ति के लिए पैनेल में शामिल विक्रेताओं से वाणिज्यिक कोटेशन आमंत्रित करेगा। प्रत्येक क्रय की औसत लागत 5 लाख रुपये (लगभग) है और आम तौर पर 50,000/- रुपये से 25 लाख रुपये तक होती है। तथापि, बैंक के विवेक पर सीमा परिभाषित सीमा से ऊपर/नीचे जा सकती है। रा.आ.बैंक के लिए आईटी उपकरणों के क्रय के लिए नियम और शर्तें नीचे उल्लिखित हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि कंप्यूटर मर्चें के क्रय के लिए वाणिज्यिक प्रस्तावों को आमंत्रित करते समय वास्तविक नियम और शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा।

हार्डवेयर एवं पेरिफेरल्स

- निम्नलिखित श्रेणियों वाले कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, पेरिफेरल्स आदि की आपूर्ति, कमीशन, संस्थापना, परीक्षण, विन्यास और अनुरक्षण के लिए:

माल/सेवाओं की श्रेणियां (सूची संपूर्ण नहीं है)

1. कंप्यूटर हार्डवेयर एवं पेरिफेरल्स: डेस्कटॉप, लैपटॉप, आईपैड/टैबलेट, सर्वर, लेजर/इंकजेट/मल्टीफंक्शनल/ऑल-इन-वन प्रिंटर, यूपीएस (ऑनलाइन/ऑफलाइन), स्कैनर (फ्लैट बेड, रोलर, A0 से A4), स्टोरेज डिवाइस (एसएन/एनएस/टेप लाइब्रेरी) एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, बारकोड रीडर व सॉफ्टवेयर के साथ प्रिंटर, पेरिफेरल्स तथा एक्सेसरीज, एएमसी, आदि।
2. नेटवर्किंग उपकरण: राउटर, फ़ायरवॉल संबंधित आइटम, लैन स्विच, वाईफाई एक्सेस प्वाइंट, कन्वर्टर, एसएफपी एडेप्टेबिलिटी के साथ स्विच, आई/ओ बॉक्स, एंक्लोसर बॉक्स, पैच कॉर्ड, पावर एडाप्टर, आदि।
3. इलेक्ट्रॉनिक आइटम सीटीवी, एलसीडी/एलईडी/प्लाज्मा टीवी, एचडी/यूएचडी, एलईडी डिस्प्ले, एलईडी लाइट्स और फिक्सचर, आईआर और पीआईआर सुविधा के साथ/के बिना एचडी डे और नाइट आईपी कैमरा एवं एक्सेसरीज एलसीडी/एलईडी/डीएलपी प्रोजेक्टर, 3-डी प्रोजेक्टर, मोबाइल/पॉकेट प्रोजेक्टर, प्रोजेक्शन के लिए स्क्रीन, स्मार्ट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड यूपीएस (ऑनलाइन/ऑफलाइन), स्टेबलाइजर, आदि।

- विक्रेता उस अवधि के दौरान रखे गए आदेशों के संबंध में किसी भी अवधि के दौरान घोषित किए जाने पर छूट का लाभ रा.आ.बैंक को देगा।

- विक्रेता रा.आ.बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यदि प्रस्तावित मॉडल में ऊर्ध्वगामी संशोधन है, तो नवीनतम मॉडल भी उपलब्ध कराएगा।

- उपकरण के लिए आवश्यक सामान भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनेल तैयार करना

- विक्रेता को विभिन्न अवसंरचना आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना चाहिए जो उपकरणों की कमीशनिंग और सुचारू संचालन के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है।
- बैंक जरूरत के आधार पर उपकरण को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने का अधिकार रखता है। विक्रेता उपकरण को स्थानांतरित और संस्थापित व उक्त को कमीशन करने की व्यवस्था करेगा। स्थानांतरण के लिए वास्तविक प्रभार रा.आ.बैंक द्वारा वहन किया जा सकता है।
- विक्रेता को 3 वर्ष की व्यापक ऑन-साइट वारंटी प्रदान करनी होगी। वारंटी निम्नलिखित को कवर करेगी:-
 - शिकायत प्राप्त होने के चार घंटे के भीतर उपकरण वहाँ रहना चाहिए। यदि समस्याएँ बनी रहती हैं, तो शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर प्रणाली को बदल दिया जाना चाहिए और मशीन की मरम्मत होने तक वैकल्पिक प्रणाली दी जानी चाहिए। प्रतिस्थापित उपकरण संस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि किया जा रहा कार्य बाधित न हो।
 - वारंटी हार्डवेयर के लिये सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं फर्मवेयर पैच/बग फिक्स, यदि कोई हो, हेतु अपडेट/अनुरक्षण पैच/बग फिक्स (मूल सॉफ्टवेयर विक्रेता से उपलब्ध) को कवर करेगा।
 - विक्रेता को नियमित अंतराल पर ऑन-साइट निवारक अनुरक्षण प्रदान करना चाहिए।
 - सेवा –क्षेत्र में शामिल होंगे:

सर्वर/पीसी

1. ओ/एस ट्यूनिंग सहित, लेकिन डिस्क चेकिंग/फ़ाइल प्रबंधन/लोड-पूर्व पुनःलोडिंग/ऑर्डर किए गए सॉफ्टवेयर/ सॉफ्टवेयर के अपडेशन तक सीमित नहीं।
2. लेंस क्लीनिंग/बैकअप ड्राइव सहित सीडी ड्राइव की क्लीनिंग।
3. कोई अन्य जांच/सेवा जो उपकरण को सुचारू रूप से और नियमित आधार पर सिस्टम उपरिकाल के अनुसार बनायेगा।

प्रिंटर एवं अन्य उपकरण

1. प्रिंटर हेड सहित प्रिंटर में सभी भाग वारंटी के तहत उपभोग्य वस्तुओं (केवल रिबन कार्ट्रिज, टोनर कार्ट्रिज और स्टेशनरी) और प्लास्टिक पार्ट को छोड़कर शामिल है।
2. प्रिंटर या उपकरण, कॉन्टेक्ट की क्लीनिंग आदि की जांच करेगा ताकि प्रिंटर या अन्य उपकरण सबसे कुशल तरीके से काम करे सके।

यूपीएस

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनेल तैयार करना

1. विक्रेता को नियमित अंतराल पर लेकिन उपकरणों की क्लीनिंग, बैटरी बैकअप क्षमता की जांच, यूपीएस के बलिंग और बिजली की आपूर्ति तक सीमित नहीं सहित ऑन-साइट निवारक अनुरक्षण प्रदान करना चाहिए। यूपीएस के सभी भाग वारंटी के अंतर्गत शामिल हैं।

- विक्रेता वारंटी अवधि के सफल हस्ताक्षर के लिए वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद क्रेता से लिखित पावती प्राप्त करेगा। गुणवत्ता सेवा प्रदान करने में प्रत्येक विफलता के लिए वारंटी अवधि 3 महीने तक बढ़ जाएगी, जो कि विक्रेता द्वारा प्रदान की जानी आवश्यक है।

- बार-बार हार्डवेयर विफलता के मामले में (एक तिमाही में दो या तीन बार) इसे रा.आ.बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत पर विक्रेता द्वारा समकक्ष नए उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- विक्रेता को उपकरण की अनुरक्षण सहायता (वारंटी पश्चात) प्रदान करने और रा.आ.बैंक की इच्छा होने पर कम से कम 3 वर्ष के लिए स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था करने का कार्य करना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु, व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) को रा.आ.बैंक के साथ अलग से शामिल किया जाना है। बोलीदाता 4 घंटे प्रतिक्रिया समय के साथ 7 दिनों x (पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 9 बजे तक) के लिये समर्थन सेवाएं प्रदान करेगा जब तक कि निर्दिष्ट नहीं किया जाता है अन्यथा और क्रेता के साथ मास्टर एएमसी करार को बिना किसी अपवाद के नियत समय में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार निष्पादित करेगा।

- उपभोग्य वस्तुओं (प्रिंटर रिबन, टोनर, कार्ट्रिज, फ्लॉपी डिस्क आदि) को छोड़कर मदों के सभी भागों को व्यापक वारंटी/एएमसी के तहत कवर किया जाएगा। यदि रा.आ.बैंक की आवश्यकता और ओईएम वारंटी/एएमसी के बीच कोई अंतर है तो अंतर को भरने की बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी।

- विक्रेता को रा.आ.बैंक के आवश्यकतानुसार वारंटी/एएमसी अवधि के दौरान पैच प्रबंधन गतिविधि शुरू करनी होगी। विक्रेता को जहाँ भी रा.आ.बैंक (वारंटी/एएमसी) को आवश्यकता लगे, बीआईओएस अपग्रेड शुरू करना होगा।

- विक्रेता को 99 % तक की उपरि काल न्यूनतम गारंटी देनी होगी और उक्त हेतु सेवा स्तरीय करार निष्पादित करने के लिए तैयार होना होगा। विक्रेता को विभिन्न स्थानों पर सेवा प्रदान करने की क्षमता के उनके दावे का समर्थन करने के लिए उचित प्रमाण प्रदान करना होगा। उपरि काल की गणना के उद्देश्य हेतु, रा.आ.बैंक पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 9 बजे के बीच व्यावसायिक घंटों पर विचार करेगा। इसकी गणना तिमाही आधार पर की जाएगी। रा.आ.बैंक उपरि काल आवश्यकता को पूरा नहीं करने की स्थिति में दंड लगायेगा। उपरि काल में 1% की प्रत्येक गिरावट के लिए, उस अवधि में दो बार गणना किए गए प्रभार को प्राप्य राशियों के भुगतान होने से वसूल/समायोजित किया जायेगा। वारंटी और एएमसी अवधि के दौरान, गणना करने के उद्देश्य के लिए एएमसी दर पर विचार किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए, ब्रेक डाउन मैसेज (टेलीफोन पर या अन्यथा) प्राप्त करने और सिस्टम को कार्यात्मक बनाने या स्टैंडबाय मशीन प्रदान करने के बीच के कुल बीते हुये समय को डाउनटाइम के रूप में माना जाएगा। बोलीदाता परस्पर ओईएम समर्थन भी प्रदान करेगा, हालांकि ऑनसाइट समर्थन बोलीदाता द्वारा प्रदान किया जाना है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

2.1.2 सामान्य सॉफ्टवेयर मदें

-निम्नलिखित श्रेणियों वाले सामान्य सॉफ्टवेयर मदों की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण, विन्यास, प्रदर्शित करने हेतु:

1. ऑपरेटिंग सिस्टम
2. डेटाबेस
3. एप्लिकेशन डेवलपमेंट टूल्स/ एप्लिकेशन सर्वर
4. डिज़ाइन टूल
5. ऑफिस टूल
6. वेब सर्वर
7. हिंदी/बायलिंग्वल सॉफ्टवेयर
8. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर
- 9 अन्य युटिलिटी सॉफ्टवेयर आदि

- अगर मीडिया का ऑर्डर दिया जाता है तो स्थापना की तारीख से 90 दिनों के भीतर मीडिया के करप्ट होने पर मीडिया को बदलने के लिए

- उत्पाद की एकबारगी संस्थापना और प्रदर्शन नि: शुल्क है।

सामान्य नियम

यह आरएफपी जब भी आवश्यक हो कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क उपकरणों, पेरिफेरल्स, यूपीएस और सामान्य सॉफ्टवेयर मदों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं के पैनल तैयार करने के लिए है। वाणिज्यिक कोटेशन केवल आवश्यक आधार पर पैनल विक्रेताओं से मंगवाए जाएंगे। प्रत्येक समय, पात्र एल -1 बोलीदाता को प्रस्ताव दिया जाएगा। यदि वेंडर/वेंडरों की सेवाएं उपयुक्त नहीं पाई जाती हैं तो रा.आ.बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी विक्रेता के पैनल को रद्द करने या किसी भी पैनल वेंडर को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उस स्थिति में, रा.आ.बैंक, रा.आ.बैंक के पास जमा की गई पैनल विक्रेता की ईएमडी राशि को भी जब्त कर सकता है।

| | |
|--------------------|--|
| वितरण अवधि: | आदेश की तारीख से 2/3 सप्ताह के भीतर जिसे विशेष रूप से क्रय आदेश में उल्लिखित किया जा सकता है। |
| एकल ओईएम हेतु कोट: | बोलीदाता को केवल डेस्कटॉप, सर्वर और नेटवर्क उपकरण, आदि के लिए एक ओईएम की ओर से कोट करना चाहिए। |

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनेल तैयार करना

| | |
|----------------------------|---|
| भुगतान: | <p>हार्डवेयर और पेरिफेरल्स के लिए: 90% भुगतान बैंक की संतुष्टि के लिए वितरण, संस्थापना और लाइसेंस प्रदान करने के एवज में किया जाएगा। 10% भुगतान सफल वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद किया जाएगा। हालाँकि, 100% भुगतान वारंटी अवधि तक वैध 10% आदेश मूल्य की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर वितरण और संस्थापना और लाइसेंस जारी करने पर जारी किया जा सकता है।</p> <p>सामान्य सॉफ्टवेयर मदें: 90% भुगतान बैंक की संतुष्टि के लिए वितरण, संस्थापना, लाइसेंस प्रदान करने और उत्पाद के प्रदर्शन के एवज में किया जाएगा। 10% भुगतान सफल वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद किया जाएगा। हालाँकि, 100% भुगतान वारंटी अवधि तक वैध 10% आदेश मूल्य की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर वितरण और संस्थापना और लाइसेंस जारी करने पर जारी किया जा सकता है।</p> <p>100% भुगतान बैंक की संतुष्टि के लिए वितरण, संस्थापना और लाइसेंस प्रदान करने और उत्पाद के प्रदर्शन के एवज में किया जाएगा।</p> |
| मूल्य की विशिष्टता: | <p>वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करते समय कोट किये गये मूल्य को सभी करें, शुल्कों और कर्तव्यों में सम्मिलित करना चाहिए।</p> |
| बीमा: | <p>विक्रेता को प्रणाली के वितरण और संस्थापना तक सभी जोखिमों के लिए बीमा कवर मिलेगा। उक्त लागत विक्रेता द्वारा वहन की जाएगी। यदि रा.आ.बैंक द्वारा संस्थापना में देरी हो रही है तो विक्रेता को बिलों की एक प्रति जमा करनी होगी ताकि रा.आ.बैंक को प्रणाली की निर्धारित अवधि के बाद एक नया बीमा कवर मिल सके।</p> |
| जुर्माना: | <p>प्रति सप्ताह देरी से क्रय आदेश का 1% का जुर्माना। देर से वितरण के लिए जुर्माने की कुल राशि आदेश राशि के 10% से अधिक नहीं हो सकती है। रा.आ.बैंक बिना कोई कारण बताए आदेश के पूरे/आंशिक भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसके बदले में रा.आ.बैंक द्वारा कोई क्षति/दावा/भुगतान देय नहीं होगा।</p> |

किसी भी चरण में किसी भी विवाद के मामले में, दिल्ली के केंद्रशासित प्रदेश के भीतर स्थित कानूनी अदालत में इसे सुलझाया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं का पैनल यह आश्वासन नहीं देता है कि हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर मदों के लिए विक्रेता/ विक्रेताओं को क्रय/कार्य आदेश जारी किया जाएगा। जब भी आवश्यकता हो, अलग-अलग वाणिज्यिक कोटेशन विक्रेताओं से मांगे जाएंगे।

5. पैनल तैयार करने की वैधता:

पैनल तैयार करने की वैधता पैनल तैयार करने की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी। रा.आ.बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार, पैनल तैयार करने की वैधता को आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध के शुरू होने की अपेक्षित तिथि 1 अक्टूबर, 2019 है।

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

6. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

6.1 सामान्य:-

- वाणिज्यिक कोटेशन केवल आवश्यक आधार पर पैनल विक्रेताओं से मंगवाए जाएंगे। रा.आ.बैंक विक्रेता की सेवा को उपयुक्त नहीं पाए जाने पर बिना कोई कारण बताए किसी भी विक्रेता के पैनल को रद्द करने या किसी भी विक्रेता को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उस स्थिति में, रा.आ.बैंक, रा.आ.बैंक के पास जमा की गई पैनल विक्रेता की ईएमडी राशि को भी जब्त कर सकता है।
- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी, एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं से किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।
- किसी भी बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले संविदा-पूर्व अनुबंध पैक्ट को छोड़कर कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा जब तक कि अनुबंधात्मक करार का निष्पादन न किया जाये। बोलियों का मूल्यांकन एवं उसे अंतिम रूप देने और सफल बोलीदाता की पहचान करने के बाद, प्रमाणिकता पैक्ट सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले निश्चित करार का हिस्सा बनेगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, अनुबंध पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट प्रस्तुत की गई बोली के संबंध में उक्त अनुबंध

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

पूर्व प्रमाणिकता पैकट के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा प्रतिबद्ध किसी भी कार्य/चूक के लिए उन पर बाध्यकारी होगी।

- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र विक्रेता(ओं) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

| | |
|---|---|
| श्री राजीव रंजन सहायक महाप्रबंधक ईमेल आईडी: rajiv.ranjan@nhb.org.in दूरभाष: 011- 39187234 | श्री अनुज रस्तोगी उप महाप्रबंधक ईमेल आईडी: anuj.rastogi@nhb.org.in दूरभाष: 011- 39187044 |
|---|---|

- रा.आ.बैंक निविदा/आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- सभी बोलीदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध करायें ताकि आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।
- यदि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो रा.आ.बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति/यों से सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समयसीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- बोलीदाता को किसी भी सरकारी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।
- रा.आ. बैंक अपने आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ.बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

6.2 बोली पूर्व बैठक

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक 23.09.2019 को 1800 बजे से पहले अथवा ईमेल द्वारा या पोस्ट द्वारा उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

6.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

6.4 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

6.5 मिटाना अथवा संशोधन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक के विवेक पर तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन को केवल विचार किया जाएगा, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। हालाँकि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी जाये। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि, रा.आ.बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

6.6 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति हेतु अंतिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ.बैंक किसी भी कारण से बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन/सुधार करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनेल तैयार करना

- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। बोलीदाता/ओं द्वारा किसी भी प्रकार के चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

6.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

6.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

रा.आ.बैंक के पास आरएफपी में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। रा.आ.बैंक के पास समय-समय पर आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

6.9 तकनीकी मूल्यांकन मानदंड

फर्मों से प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन उनकी तकनीकी दक्षताओं के आधार पर किया जाएगा। केवल अर्हताप्राप्त तकनीकी स्कोर वाली फर्मों को ही पैनेल में रहने का अधिकार दिया जाएगा।

बोलियों के मूल्यांकन के लिए मानदंड और बिंदु प्रणाली निम्नानुसार है:

| | मानदंड बिंदु | अधिकतम बिंदु 100 (अधिकतम अंक) |
|--|--------------|----------------------------------|
| 1. फर्मों/कंपनी के रजिस्ट्रार से पंजीकरण प्रमाण पत्र क. स्वामित्व | 03 | <u>अधिकतम अंक 10</u> |

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

| | | |
|---|----|----------------------|
| ख. सहभागिता | 05 | |
| ग. प्रा.लि.कं. | 07 | |
| घ. लि. कंपनी (सार्वजनिक) | 10 | |
| * वैयक्तिक स्वामित्व फर्म के लिए कोई पंजीकरण लागू नहीं है | | |
| 2. ग्राहकों की सूची (जिनके लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, सामान्य सॉफ्टवेयर की आपूर्ति की जाती है) (अंक प्रदान करने हेतु केवल वर्तमान वैध अनुबंध (पिछले 5 वर्षों के भीतर) पर विचार किया जाता है) | | <u>अधिकतम अंक 15</u> |
| • भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट में 7 या इससे अधिक हेतु। | 15 | |
| • भारत में 4 से 6 सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट हेतु। | 10 | |
| • भारत में 3 तक सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट। | 05 | |
| 3. ग्राहकों की सूची (भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट) जिन्होंने बोली लगाने वाली कंपनी को संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र जारी किया है (कंप्यूटर हार्डवेयर और सामान्य सॉफ्टवेयर मर्दों की आपूर्ति और संस्थापना करने के लिए) | | <u>अधिकतम अंक 15</u> |
| • 5 ग्राहकों से अधिक | 15 | |
| • 3-5 ग्राहक | 10 | |
| • कम-से-कम 2 ग्राहक | 05 | |
| 4. कारोबार में होने का ट्रैक (यूपीएस और सामान्य सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति और संस्थापना) | | <u>अधिकतम अंक 20</u> |
| • 7 या इससे अधिक वर्षों के लिए कारोबार में होना | 20 | |
| • 3 वर्ष से अधिक 7 वर्ष से कम के कारोबार में होना | 10 | |
| 5. कंप्यूटर हार्डवेयर और सामान्य सॉफ्टवेयर की आपूर्ति और संस्थापना के लिए आईएसओ प्रमाणन सीएमएम स्तर- III प्रमाणन या उससे अधिक | | <u>अधिकतम अंक 10</u> |
| क. यदि हाँ | 10 | |
| ख. यदि नहीं | 00 | |
| 6. तकनीकी और अहर्ता श्रमशक्ति (न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव के साथ डिग्री या इंजीनियरिंग में न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इसके समकक्ष) | | <u>अधिकतम अंक 20</u> |
| • 50-75 अहर्ता-प्राप्त एवं अनुभवी इंजीनियर | 10 | |
| • 75-100 अहर्ता-प्राप्त एवं अनुभवी इंजीनियर | 15 | |
| | 20 | |

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनेल तैयार करना

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 101 एवं इससे अधिक अहर्ता-प्राप्त एवं अनुभवी इंजीनियर | | |
| <p>7. पिछले 3 वर्षों के लिए औसत आवर्त (सेवाओं/वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के संबंध में)</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 5 करोड़ रुपये एवं = < 8 करोड़ • > 8 करोड़ रुपये एवं = < 10 करोड़ • > 10 करोड़ रुपये | <p>06</p> <p>08</p> <p>10</p> | <p><u>अधिकतम अंक 10</u></p> |

नोट: संगठन जिसके पास अपने पेरोल पर न्यूनतम 1000 कर्मचारियों के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का औसत वार्षिक कुल कारोबार है और बंगलौर एवं हैदराबाद सहित भारत के सभी मेट्रो शहरों में कार्यालय हैं, को इस आरएफपी के लिए बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

बोलीदाताओं को उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक मानदंडों के एवज में सहायक दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करनी होंगी, जिनके बिना बोली अस्वीकार की जा सकती है।

पैनेल तैयार करने हेतु बोली के लिए न्यूनतम योग्यता स्कोर 70 होगा। तथापि बैंक कट ऑफ अंक को कम करने का अधिकार रखता है यदि पर्याप्त संख्या में बोलियाँ ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम स्कोर के साथ योग्य नहीं हैं।

6.10 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (कृपया प्रारूप में अलग से निर्धारित निर्देश यदि कोई हो, का पालन करें)

1. अनुलग्नक I में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. अनुलग्नक II में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता का अनुभव विवरण;
3. अनुलग्नक III में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
4. अनुलग्नक IV में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में विचलन की सूची, यदि कोई हो;
5. यथा निर्दिष्ट प्रारूप में तकनीकी बोली कवरिंग पत्र: अनुलग्नक V;
6. यथा निर्दिष्ट प्रारूप में तकनीकी बोली प्रारूप: अनुलग्नक VI;
7. अनुलग्नक VII में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
8. अनुलग्नक VIII में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में सक्षमता पत्र;
9. अनुलग्नक IX (संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैकट को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर स्पष्ट टाइप किया जाना चाहिए और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से उक्त पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए) में निर्धारित प्रारूप में संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैकट (जहां भी लागू हो)।

नोट: ईएमडी राशि के बिना बोलियों को सरसरी आधार पर खारिज कर दिया जाएगा।

6.11 बोली मुद्रा

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.12 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

(क) सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिये।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

| क्र. सं. | प्रकार | विवरण |
|----------|---------------------------------|--|
| 1 | लाभार्थी का नाम | राष्ट्रीय आवास बैंक |
| 2 | लाभार्थी का पता | कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003 |
| 3 | लाभार्थी के बैंक का नाम | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया |
| 4 | लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता | प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003 |
| 5 | बैंक खाते का प्रकार | चालू खाता |
| 6 | लाभार्थी बैंक खाता सं. | 52142903844 |
| 7 | बैंक की शाखा का आईएफसी कोड | SBIN0020511 |
| 8 | एमआईसीआर सं. | 110004005 |

(ख) भुगतान का सबूत संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थिति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र, जैसा **अनुलग्नक VII** में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- ग. यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई भी बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।
- घ. ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- ङ. अन्यथा यहां दिए गए या निश्चित करार में, सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर वापस कर दी जाएगी।
- च. अन्यथा यहां दिए गए या निश्चित करार में, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि पैनल के दो वर्ष बाद वापस कर दी जाएगी।
- छ. ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:
- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली/बोलियां आहरित कर लेता है;
 - संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है;

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल हो जाता है;
- अनुबंध-पूर्व प्रमाणिकता पैकट के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

6.13 बोलियों की वैधता अवधि

- बैंक द्वारा निर्धारित बोली खोलने की तारीख से छह महीने के लिए बोली वैध रहेगी। कम अवधि के लिए वैध बोली को गैर जिम्मेदार के रूप में रा.आ.बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि समय को सभी प्रतिभागियों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

6.14 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

बोली को यहाँ "राष्ट्रीय आवास बैंक में कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल्स और सामान्य सॉफ्टवेयर मर्चें की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं के पैनल के प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित किया गया है।

6.15 बोलियों की मुहरबंदी एवं चिह्नांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजे जाएंगे :
महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड
नई दिल्ली - 110003
- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए। बोलीदाता मुख्य लिफाफे में अर्हता-पूर्व मानदंड की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के साथ पैनल हेतु प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहरबंद करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और इसके ऊपर "राष्ट्रीय आवास बैंक में कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल्स और सामान्य सॉफ्टवेयर मर्चें की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं के पैनल का प्रस्ताव" अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफों मुहरबंद और चिह्नित नहीं किया गया तो रा.आ.बैंक बोलियों के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

6.16 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में, यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

6.17 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

6.18 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।
- तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:

राष्ट्रीय आवास बैंक,
कोर 5ए, भारत पर्यावास केंद्र,
लोधी रोड,
नई दिल्ली- 110003

- बोलीदाता के नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, तथा अन्य ब्योरे जिसे रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार उचित समझता है, की घोषणा बोली खोलने के समय की जाएगी।

6.19 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

6.20 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

6.21 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

6.22 बोलीदाताओं को निर्देश:

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

6.23 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

बोलीदाता के पास नई दिल्ली-एनसीआर में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह इस परियोजना के तहत सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कर सके।

6.24 मैनुअल/ड्राइंग

बोलीदाता संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं सफ्ट तौर पर उल्लिखित होनी चाहिए।

6.25 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-वितरण के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

6.26 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है और यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इस आरएफपी पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड अनुलग्नक-IV के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

6.27 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

6.28 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

6.29 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रुचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैन्ल तैयार करना

6.30 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

6.31 कानूनों का अनुपालन

- i. सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- ii. विक्रेता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए

रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

- iii. यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.32 बौद्धिक संपदा अधिकार

पैनल विक्रेता के रूप में उसके चयन की स्थिति में बोलीदाता यह वारंट देता है कि:

- (क) उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- (ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- (ग) ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्च पर (क) रा.आ.बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रियाकलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये; हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं बोलीदाता को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए रा.आ.बैंक की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्त समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए रा.आ.बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की रा.आ.बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि रा.आ.बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि रा.आ.बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।
- (घ) बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है एवं अतः इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी

परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनेल तैयार करना

6.33 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्थी उसकी निविदा/बोली की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

(क) यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल अर्जित/ईएमडी राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ख) यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने निर्णयनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है जैसा कि पीबीजी के आह्वान सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में प्रदान किया गया है।

(ग) उचित अवधि के लिए रा.आ.बैंक द्वारा रोक।

7. योग्यता-पूर्व मानदंड

1. बोलीदाता को कम से कम तीन वर्ष के लिए सर्वर/पीसी/लैपटॉप, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, जनरल सॉफ्टवेयर आपूर्ति कारोबार में कार्य करना चाहिए (प्रमाण संलग्न किया जाये)।
2. बोलीदाता के पास एनसीआर और मुंबई में सेवा सहायता कार्यालय होने चाहिए। (प्रमाण के रूप में सेवा केंद्रों/व्यापारिक सहयोगियों की सहायक सूची संलग्न की जानी है)।
3. बोलीदाता का औसत वार्षिक आवर्त पिछले तीन वित्तीय वर्ष में कम से कम 5 करोड़ रुपये होना चाहिए। (लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की प्रति संलग्न की जानी है)।
4. बोलीदाता मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) या संबंधित ओईएम का प्राधिकृत प्रतिनिधि/वितरक/पुनः विक्रेता होना चाहिए। प्रमाण संलग्न करना होगा।
5. बोलीदाता को किसी भी भारत में सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा बोली प्रक्रिया में भागीदारी से ब्लैकलिस्ट/वंचित नहीं किया जाना चाहिए था।

नोट 1: बोलीदाताओं को उपर्युक्त मानदंडों की योग्यता स्थापित करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना है।

नोट 2: सभी पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को केवल तकनीकी मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। अन्यथा बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, स्पेयर्स, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु विक्रेताओं का पैनल तैयार करना

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

***किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**